

प्रेषक,

राजेश भारती, भा०प्र०से०

श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

शेखपुरा, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) एवं नालन्दा।

पटना, दिनांक-

विषय:- विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-12 जून, 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने बाल श्रम से विमुक्त कराये गये एवं CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से रु० 25,000 प्रति विमुक्त बाल श्रमिक उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से षष्ठम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त राशि प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेंगे। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरान्त पूरी राशि बाल श्रमिक को प्राप्त हो सकेगी।

सम्प्रति कतिपय कारणों से CLTS पोर्टल के क्रियाशील नहीं रहने के कारण विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों का विवरण पोर्टल में अपलोड नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने तक सभी पात्र विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों को जिलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर रु० 25,000/- के Annuity Scheme का लाभ इस शर्त के साथ दिया जाय कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने पर बाल/किशोर श्रमिकों से संबंधित सभी आवश्यक प्रविष्टियाँ अविलम्ब कर ली जायेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	बाल श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि	अभियोजन/ एफ०आई०आर०
1	शेखपुरा	-	गौरव कुमार	18.02.2026	25/26
2		-	राजन कुमार	18.02.2026	25/26
3		-	सुलतान कुमार	18.02.2026	25/26
4		-	बालवीर कुमार	18.03.2026	60/26
5		-	सलिनद्र कुमार उर्फ गोलू कुमार	18.03.2026	60/26
6		-	मोहित कुमार	18.03.2026	60/26
7		-	मंटन कुमार	18.03.2026	60/26
8		-	रवि कुमार	30.01.2026	30/26
9		-	पवन कुमार	23.12.2025	371/25
10		-	गुलो कुमार उर्फ रोहित कुमार	26.05.2025	152/25
11	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	-	आशीष कुमार	23.05.2026	256/2026
12		-	आशु कुमार	29.05.2026	256/2026

13		-	दुर्गेश कुमार	28.04.2026	107/2026
14		-	सुदमा कुमार	21.05.2026	196/2026
15		-	अविनाश कुमार	29.04.2026	234/26
16	नालन्दा	-	मो० समिर जहीर	26.05.2026	51345260305/29.05.2026
17		-	राजीव कुमार	14.07.2026	163/26
18		-	बलू कुमार	07.05.2026	163/26

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से @25,000/- प्रति बाल श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	बाल श्रमिकों की संख्या	बाल श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रुपये में	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अध्याचना का विवरण
शेखपुरा	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	363794 57357	SBIN0003002	10	10@25000	2,50,000/-	पत्रांक-740, दिनांक-24.08.2026
पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	364668 32239	SBIN0001764	04	04@25000	1,00,000/-	पत्रांक-1194, दिनांक-24.08.2026
नालन्दा	जिला पदाधिकारी, नालन्दा	363287 45027	SBIN0000042	04	04@25000	1,00,000/-	पत्रांक-1454, दिनांक-24.08.2026
कुल				18	18@25000	4,50,000/- (चार लाख पचास हजार)	

अतः अनुरोध है कि उपलब्ध करायी जा रही राशि से सत्यापित, अध्याचित एवं CLTS Software में दर्ज पात्र बाल श्रमिक को ही लाभ दिया जाय एवं लाभ देने के उपरांत साक्ष्य सहित प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

राशि के उपयोग के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त बाल श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राजेश भारती)

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/C.L.-10-05/2026, श्र०सं०.....

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-श्रम अधीक्षक/श्रम अधीक्षक (अधिनियम), शेखपुरा, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) एवं नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विमुक्त बाल श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिलाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

ह०/-

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक:-01/C.L.-10-05/2026, श्र०सं०..... 5299

पटना, दिनांक- 31/9/26

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

श्रमायुक्त, बिहार